भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 478**

दिनांक 13 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना का प्रभाव आंकलन अध्ययन**

**478. डा॰ विनय पी॰ सहस्रबुद्धेः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के प्रारम्भ से उसके प्रभाव के आंकलन का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब किया गया तथा इस कवायद का क्या परिणाम रहा है; और क्या उसके बाद इस योजना में कोई संशोधन किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

डा. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) : जी, नहीं ।

(ख) : प्रश्‍न नहीं उठता ।

(ग) : सरकार ने 01.01.2017 से पूरे देश में प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), जो कि केंद्रीय प्रायोजित सशर्त नकद हस्‍तांतरण स्‍कीम है, को क्रियान्‍वित करने के लिए 17.5.2017 को अनुमोदित कर दिया । यह स्‍कीम वेब-आधारित प्रबंधन और सूचना प्रणाली (एमआईएस) सॉफ्टवेयर, अर्थात प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना - सामान्‍य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर (पीएमएमवीवाई-सीएएस), जो 01.09.2017 से शुरू की गई, के माध्‍यम से क्रियान्‍वित की जा रही है । इस स्‍कीम के कारगर क्रियान्‍वयन का एक वर्ष अभी पूरा हुआ है और इसलिए स्‍कीम के प्रभाव मूल्‍यांकन का कोई अध्‍ययन अब तक शुरू नहीं किया गया है ।

\*\*\*\*\*